न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

निग – 7169 – I – 16

श्री राधेश्याम पिता रामकिशन सोनी (मृत)

द्वारा वारसान :–

1. श्रीमति उमा पत्नि स्व. श्री राधेश्याम सोनी
2. अतुल आनंद पिता स्व. श्री राधेश्याम सोनी
3. अंजली पुत्री स्व. श्री राधेश्याम सोनी
4. अंकुर आनंद पिता स्व. श्री राधेश्याम सोनी

   साकिन : अपेक्स बैंक के बाजू में, जवाहरगंज वार्ड, कटरा बाजार, सागर

.......***आवेदक***

विरुद्ध

म.प्र. शासन

द्वारा :– कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला सागर

.....***अनावेदक***

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899</u>

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/बी–103/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 **(Annexure P-1)** से परिवेदित होकर निम्न प्रमुख तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

<u>//निगरानी के संक्षिप्त तथ्य//</u>

1. यह कि न्यायालय श्रीमान् नवम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 2 सागर के द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सागर को पत्र क्र. 19 दिनांक 15.04.2015 इस आशय का भेजा गया कि इकरारनामा दिनांक 15.03.1994 पाँच रुपये के स्टाम्प पेपर पर निस्पादित किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया अपर्याप्त स्टाम्पित प्रतीत होता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 7169–एक/2016 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–8–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सागर के द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर को पत्र कमांक 19 दिनांक 15–4–15 जारी कर इकरारनामा दिनांक 15–3–1994 को पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर निस्पादित होने से पर्याप्त स्टाम्पित करने की कार्यवाही को भेजा गया। कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर ने प्रकरण कमांक 49/बी–103/2014–15 धारा 40 का दर्ज कर दिनांक 01–7–16 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन इकरारनामा पर 26,608/– रूपये का मुद्रांक शुल्क कम पाया एवं उक्त कमी मुद्रांक शुल्क पर 10 गुना शास्ति अधिरोपित कर कुल 3,14,688/– रूपये जमा करने के आदेश दिये। कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि पूर्ण मुद्रांक शुल्क चस्पा किये जाने के सबंध में अज्ञानता के कारण उक्त इकरारनामे पर मुद्रांक शुल्क में कमी रह गई इसमें स्व0 राधेश्याम सोनी द्वारा जानबूझकर कमी नहीं की थीं बल्कि परिस्थितिवश, अज्ञानता एवं अंजाने में ऐसा हुआ है। उक्त दस्तावेज पर देय कमी मुद्रांक शुल्क व शास्ति अदा करने हेतु आवेदकगण द्वारा ही नवम अतिरिक्त	

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कार्यवाही में पूर्ण सहयोग किया गया है। व्यवहार न्यायाधीश के आदेश दिनांक 13–4–15 में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उक्त इकरानामे में कमी मुद्रांक शुल्क पर अधिकतम (10 गुना) शास्ति वसूल की जाना है। परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा इकरानामे पर अधिकमत शास्ति अधिरोपित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि चाहे आवेदक स्वयं दस्तावेज कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष परिबद्ध कराये अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा दस्तावेज परिबद्ध कर प्रेषित किया और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा धारा 40 भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया जाता है तो कलेक्टर आफ स्टाम्प को, यह जिम्मेदारी के साथ कि समस्त परिस्थितियों जैसे कि भुगतानकर्ता की आर्थिक स्थिति व विधि के सामान्य न्यायिक सिद्धांतो को दृष्टिगत रखते हुये, शास्ति अधिरोपित करना चाहिए। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि राधेश्याम का स्वर्गवास हो जाने से उनकी पत्नि उमा सोनी आर्थिक रूप से असक्षम है उनकी आय 30,000/– सालाना है। उनके द्वारा व्यवहार न्यायलय में 15000/– कोर्ट फीस भी दी गई है। राधेश्याम सोनी व आवेदकगण कभी किसी न्यायालय में राजस्व के भुगतान में डिफाल्टर नहीं रहे हैं। इस संबंध में उपरोक्त सभी तर्क, क्षमायाचना व कई न्यायिकदृष्टांत भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष पेश किए थे। जिनको बिना विचार क्षेत्र में लिये आवेदक के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही कर अधिकमत 10 गुना

शास्ति अधिरोपित करने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राधेश्याम सोनी द्वारा दिनांक 15–3–1994 को इकरानामा निष्पादित करवाया था जो कृषक थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 14–10–07 को अचानक हृदयघात के कारण मृत्यु हो जाने से, उक्त इकरारना के निष्पादन पर पर्याप्त मुद्रांक शुल्क ना चुकाये जाने का कारण, कभी अपने वारसानों को नहीं बताया था परन्तु प्राप्त जानकारी अनुसार उन्होंने उक्त इकरारनामा में वर्णित कृषि भ्जूमि को कय करने के लिए पैसों का इंतजाम किया जिस वजह से शायद थोडे समय बाद मुद्रांक शुल्क के लिए भी पैसे का इंतजाम कर रजिस्टर्ड बैनामा निष्पादित करना चाहा। परनतु शिवशंकर (उक्त इकरानामा में विकेता) के उक्त इकरारनमा के निष्पादन के कुछ ही दिनों बाद वाहन दुर्घटना में मृत हो जाने के कारण राधेश्याम सोनी के शिवशंकर के परिवार पर विपत्ति की स्थिति को देखते हुये उनसे पारिवारिक कारणों से रजिस्टर्ड निष्पादन हेतु दबाव नहीं डाला। साथ ही उन्होंने शिवशंकर के भाईयों से निष्पादन वर्ष 1998 के मूल्यांकन अनुसार पूर्ण मुद्रांक शुल्क चस्पा कर रजिस्टर्ड बैनामें निष्पादित करवा लिये साथ ही इकरानामा में पूर्ण मुद्रांक शुल्क चस्पा किये जाने के संबंध में अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ था। अतः उक्त कृषि भूमि के कय संबंध में राधेश्याम सोनी द्वारा जानबूझकर मुद्रांक

चुकाने में कमी नहीं की गई थी। बल्कि परिस्थितिवश अज्ञानता में व अनजाने में हुआ है। जिसके लिए उनके वारसान को दोषी नहीं माना जा सकता। चूंकि वारसानों द्वारा उक्त दस्तावेज पर कमी मुद्रांक शुल्क व शास्ति अदा करना चाहते थे इसलिए नवम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तथा कोर्टफीस 15000/– भी अदा की। नवम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 द्वारा पत्र कमांक 19/15–4–2015 से इकरारनामा स्टाम्पित कराने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर को प्रेषित किया। जहां कलेक्टर आफ स्टाम्प ने आवेदकपर 10 गुना शास्ति अधिरोपित कर आदेश पारित किया। व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा 10 गुना शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश नहीं दिये गये थे व शास्ति में छूट मिल सके इसीलिए प्रेषित किया था। जो कि व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 13–4–15 में उल्लेखित किया है। रतनसिंह विरूद्ध श्रीमती चुन्नाबाई 1981 एमपीएलजे 32 एवं बालकृष्ण विरूद्ध बोर्ड आफ रेवेन्यू 1969 एमपीएलजे 827 अवलोकनीय है जिसमें निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है– "A party can pray that the court should only impound the document and send it to collector for further action because, it is likely to get some remission or reduction in the penalty to be imposed while the court cannot grant the same" फिर भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने में त्रुटि की गई है। इस संबंध में 2010(2) एमपीएलजे 104 उमेश

कुमार विरूद्ध राजाराम में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "discretion given to the Collector (Stamps) is to impose any amount of penalty which should not necessarily be ten times, it can be less than that." कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक की आर्थिक स्थिति एवं सम्पन्नता पर बिना विचार किये अधिकतम शास्ति अधिरोपित की गई जबकि उन्हें पक्षकार की आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति पर विचार कर ही शास्ति अधिरोपित करनी चाहिए थी। इस संबंध में 2002 मान0 सर्वोच्च न्यायालय केस 427 पिटेटी सुब्बाराव विरूद्ध अनुमाला एस नरेन्द्र में निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया है – Stamp Act, 1899- S. 40(1) - Powers of Collector & Payment of stamp duty and penalty - Held, Collector has powers to require person concerned to pay appropriate duty as well as a penalty, which cannot be more than ten times the duty payable- Clarified that Collector is not obliged to impose the maximum duty; he must take into account various circumstances, including the financial status of the person concerned."

अतः आवेदकगण द्वारा जानबूझकर पर्याप्त मुद्रांक शुल्क के कमी नहीं की गयी है और न ही उसकी दोषी मंशा परिलक्षित होती है। आवेदकगण कि आर्थिक स्थिति व प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा बिन्दुवार सार्थक निष्कर्ष व कारण न दर्शाते हुये अधिकतम 10 गुना

शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

5/ उपरोक्त के प्रकाश में कलेक्टर आफ स्टाम्प सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.7.16 का शास्ति अधिरोपित करने संबंधी अंश निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। आवेदकगण को कमी मुद्रांक शुल्क रू0 28,608/- एवं शास्ति रू0 5/- छः माह में किश्तों में जमा करने का आदेश दिया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य